कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्सः 05946–220003 ई–मेलः cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 817 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 15-11-2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः **आपके कार्यालय की पत्र संख्या 2884/12–1 दिनांक 24.05.2025।**

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में दो बिन्दुओं कमशः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाली SIR नवीन प्रारूप में उपलब्ध कराने तथा प्रस्तावित योजना के 100 पौंधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों के आंकलित कर संलग्न करने हेतु आपत्ति लगायी गयी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्रांक 1252/12–1 दिनांक 13.10.2025 से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर का उत्तरालेख मय संलग्नकों सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

(संलग्नः उपरोक्तानुसार।)

भवदीय,

(डॉ0 साकेत बडोला)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांकः 817 / 12-1 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को उनके पत्रांक 1252/12–1 दिनांक 13.10.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 साकेत बडोला)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 1252 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 13/10/.2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.: FP/UK/OTHERS/155386/2022)

संदर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2884 / 12–1 दिनांक 24.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र में जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में उच्च स्तर से प्राप्त आपत्ति के क्रम में उत्तरालेख निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाली SIR नवीन प्रारूप में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि SIR नवीन प्रारूप में उपलब्ध अकिंत कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नकः– 01)**
2	प्रस्तावित योजना के 100 पौधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों के आंकलित कर संलग्न किया जाना है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा अवगत कराना है कि प्रयोजना में 100 पौधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों के आंकलित कर संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नकः– 02)**

कार्यालय, वन संरक्षक, [illegible] अरण्य भवन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
पंजीकरण संख्या 2617
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 24-10-2025

संलग्नकः उरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0 1252/12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रमीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड–नैनीताल को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

संलग्नक-1

प्रपत्र–3

परियोजना का नामः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या **FP/UK/Others/155386/2022**

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड।
(ii) जिला	ऊधमसिंहनगर।
(iii) जिला वन प्रभाग	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	0.063 है0
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	आरक्षित वन क्षेत्र।
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	
(i) वन का प्रकार	मानव निर्मित वन (रोपित वन)
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.4–0.7
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	संलग्न।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	संलग्न।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	हाथी, तेंदुआ, हिरन, मोर एवं बाघ, आदि।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(iii) क्या किसी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	–

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि. मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	–
22.क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं
23.पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	हाँ
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	–
24. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे** :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	–
(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	–
25. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे** :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न है।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।	संलग्न है।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न है।
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृश्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न है।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।	संलग्न है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशों	स्वीकृत कर प्रस्तुत।

दिनांकः 03.12.2024
स्थानः रूद्रपुर

हस्ताक्षर
नामः उमेश चन्द्र तिवारी
सरकारी मोहर

उप जिलाधिकारी
रूद्रपुर

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

परियोजना का विवरणः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(FP/UK/Others/155386/2022)

Check list for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

S.No	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	0.063 hac
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Enclosed in Annexure
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Reserve Forest
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes by help paint on the vertex
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	Not any
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Jamun, Eucalyptis, Arjun, Sheesham, Aam Bakain, sagon and others. Working plan prescription is enclosed.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	Denisty of Proposed site is between 0.4-0.7 and most common wildlife are Tiger, Elephant, Monkey and Leopard etc.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No such specific flora/fauna endemic to this area .
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working plan and if not why?	Working plan prescription is enclosed.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	None
12	Any dependent persons/families on this land.	None
13	Any displacement of persons proposed.	Not any.
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	Not required

15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Enclosed in Annexure
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. Area.	Proposal is more than 10 km away from Nandhaur Wildlife Sanctuary .
17	Dependence of tribals in the area. Whether the right of the tribals have been recognized in this area.	Not any.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	Enclosed in Annexure
19	In case of renewal whether all the conditions stiplulated in the earlier sanction order have been complied with.	N/A
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	N/A
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for divesion for non-forestry purpose is bare minimum.	The report as attached on the proposal.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	Only 05 trees are going to be affect
23	Any other issue of significance.	Not Any
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the project.	Recommended

Date: 03-12-2024

Signature -

Name - Umesh Chandra Tiwari

Designation - Deputy Conservator of Forest

उपमंडल अधिकारी
तराई वनमंडल एवं प्रभाग
रुद्रपुर

विषयः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(Online proposal No. FP/UK/Others/155386/2022)

Working plan prescription

विषयांकित प्रस्ताव तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर के प्रभावित होने वाले प्लॉट का विवरण निम्न प्रकार है:–

S.No.	Range Name	Plot no.	Block name	Working circle
1	हल्द्वानी रेंज	D- Class	हल्दूचौड	सागौन कार्यवृत्त

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूदपुर

संयुक्त निरीक्षण आख्या।

प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के कार्यालय आदेश संख्या 1884 / 12-1 रूद्रपुर दिनांक 03.12.2024 के परिपालन मे आज दिनांक 07.12.2024 को माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78-2021 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआं अन्तर्गत हल्दूचौड़ मे एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य एक दीघा जमीन पर क्रियाशाला संरचना स्थल निर्माण के सम्बन्ध मे वृक्षों की गणना हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया प्रस्तावित भूमि हल्दूचौड़ मे भरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर रोड मे लीलावती अस्पताल के सामने एन0एच0-87 व रेलपटरी के मध्य स्थित है प्रस्तावित भूमि मे स्थित वृक्षों की स्थिति निम्न प्रकार है।

1. 90 cm गोलाई-03 वृक्ष अयोग्य सागौन।
2. 70 cm गोलाई-02 वृक्ष अयोग्य सागौन।

कुल- 05 वृक्ष।

latitude-29-103900
Longitude-79-519155
latitude-29-114697
Longitude-79-520472

latitude-29-103850
Longitude-79-519365
latitude-29-103601
Longitud-79-519071

(वन विभाग)

1. श्री आनन्द कुमार,
   वन क्षेत्राधिकारी
   हल्द्वानी

2. श्री रमेश जोशी
   वन दरोगा, हल्दूचौड़,

3. श्री प्रतीक कुंवर
   वन आरक्षी, हल्दूचौड़

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रूद्रपुर (ऊ0सं0नगर)

ग्रामीण निर्माण विभाग।

श्री महेन्द्र सिंह
सहायक अभियन्ता
उपखण्ड-हल्द्वानी।

श्री अंकित कुमार
अपर सहायक अभियन्ता।
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड-नैनीताल

Scanned with CamScanner

संलग्नक-

प्राक्कलन बावत्–हल्द्वानी राजि के अन्तर्गत टाण्डा ब्लॉक 100 वृक्षों की वृक्षारोपण कार्य।

रेंज– हल्द्वानी राजि

प्रभाग– तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

ब्लॉक – टाण्डा ब्लॉक

क्षेत्रफल शुद्ध– 0.10 हैं0

कुल पौध 100.00 पौध

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)		कुल योग	SOR No.
	प्रथम वर्ष–ग्रीड मृदा कार्य							2.3.1
1	साईट स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्कशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, मृदा परीक्षण कार्य)	0.10	हैक्टर	1150.00	115.00		115.00	2.3.1.1
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी काटना, सफाई आदि समस्त कार्य) – साधारण झाड़ी	0.10	हैक्टर	13967.00	1396.70		1396.70	2.3.1.2
3	गढढा का समरेखण चूना की कीमत सहित	0.10	हैक्टर	411.00	41.10		41.10	2.3.1.3
4	गढढा खुदान						0.00	2.3.1.4
	भावर क्षेत्र (i) 0.45× 0.45× 0.45 मीटर	0.10	हैक्टर	17502.00	1750.20		1750.20	
5	कन्टूर ट्रैन्च खुदान (500 मस्क्स प्रति है0 या 1500.00 रनमी0 प्रति है0)							2.3.1.5
	भावर क्षेत्र (i) 3.00× 0.45× 0.30 मीटर (@ Rs.27.00 per Runt)	0.10	हैक्टर	40500.00	4050.00		4050.00	
6	तारबाड़– (अ) तार की कीमत	0.10	हैक्टर	9527.00	952.70		952.70	2.3.1.6
	(ब) मजदूरीमिक	0.10	हैक्टर	2176.00	217.60		217.60	
7	आर0सी0सी0 पाल बनाना – 1:2:4 सीमेन्ट कन्क्रीट में साईज–लम्बाई–0.10+0.08 / 2 मी0, चौड़ाई–0.10+0.08 / 2 × 2.00 मी0, ऊंचाई जो 4 सरिया 8 एम0एम0 तथा 10 रिंग 6 एम0एम0 (बराबर दूरी पर) से निर्मित हो 4 प्रत्येक खम्बे के बरा से 0.45 मी0 ऊपर 10 एम0एम0 व्यास के 4 होल समान दूरी पर बने हों (33 पोल प्रति 100 रनिंग मीटर के अनुसार)	0.10		17525.00	1752.50		1752.50	2.3.1.7
	(ब) आर0सी0सी0 खम्बो का ढुलान एवं स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्य	0.10	हैक्टर	4038.00	403.80		403.80	
	(सि) तारबाड़ के साथ तीन लड़ सीलर फैन्सिंग	0.10	हैक्टर	13000.00	1300.00		1300.00	
8	पौध का मूल्य– 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	0.10	हैक्टर	13178.00	1317.80		1317.80	2.3.1.8
9	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	0.10	हैक्टर	11500.00	1150.00		1150.00	2.3.1.9
10	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	730.00	73.00		73.00	2.3.1.10
11	श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	730.00	73.00		73.00	2.3.1.11
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय – 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	1461.00	146.10		146.10	2.3.1.12
13	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर–1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	1461.00	146.10		146.10	2.3.1.13
14	अन्य आकस्मिक व्यय– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	1461.00	146.10		146.10	2.3.1.14
	प्रथम वर्ष का योग		**हैक्टर**	**150317.00**	**15031.70**		**15031.70**	
	द्वितीय वर्ष– वृक्षारोपण कार्य							2.3.2
15	गढढा का खाद / कीट नाशक मिलाकर भरान (i) 0.45 0.45 0.45 मीटर	0.10	हैक्टर	2160.00		216.00	216.00	2.3.2.1
16	बीज का मूल्य बोरी सहित, सिल्वासाल की प्रचलित दरों के अनुसार	0.10	हैक्टर	372.00		37.20	37.20	2.3.2.2
17	पौध का मूल्य– 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	0.10	हैक्टर	3630.00		363.00	363.00	2.3.2.3
18	पौध ढुलान नर्सरी से मौके तक अ– पौध की लदाई उतराई सहित 5 कि0मी0 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	0.10	हैक्टर	6218.00		621.80	621.80	2.3.2.4
	ब– 5 कि0मी0 से अधिक के ढुलान हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	0.10	हैक्टर	301.00		30.10	30.10	
19	पौधो का रोपण स्थानीय ढुलान सहित	0.10	हैक्टर	4834.00		483.40	483.40	2.3.2.5
20	सिंचाई व्यवस्था (बोरिंग, आर्टीजन, डीजल इत्यादि)	0.10	हैक्टर	12142.00		1214.20	1214.20	2.3.2.6

21	निराई (i) प्रथम	0.10	हैक्टर	4206.00		420.60	420.60	2.3.2.7
	(ii) द्वितीय	0.10	हैक्टर	3365.00		336.50	336.50	
	(iii) तृतीय कंचल (विकिर रोपण)	0.10	हैक्टर	2103.00		210.30	210.30	
22	बीज बुआन कार्य	0.10	हैक्टर	110.00		11.00	11.00	2.3.2.8
23	वृक्षारोपण उपगत झाड़ी कटान / क्षेत्र की सफाई 2 बार	0.10	हैक्टर	5964.00		596.40	596.40	2.3.2.9
24	वन मार्ग से वृक्षारोपण क्षेत्र के पहुँच मार्ग व निरीक्षण बटिया बनाना / मार्ग का रख-रखाव	0.10	हैक्टर	857.00		85.70	85.70	2.3.2.10
25	कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए छप्पर	0.10	हैक्टर	2450.00		245.00	245.00	2.3.2.11
26	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्प्लीट कार्य	0.10	हैक्टर	250.00		25.00	25.00	2.3.2.12
27	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	301.00		30.10	30.10	2.3.2.13
28	दख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 08 माह (10.00 है0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	11472.00		1147.20	1147.20	2.3.2.14
29	पौधारोपण एवं बीज बुआन के समय कीटनाशक दवाओं का उपयोग	0.10	हैक्टर	293.00		29.30	29.30	2.3.2.15
30	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.2.16
31	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	304.00		30.40	30.40	2.3.2.17
32	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.2.18
33	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर -1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.2.19
34	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.2.20
	द्वितीय वर्ष का योग		हैक्टर	63764.00		6376.40	6376.40	
	प्रथम एवं द्वितीय का वर्ष का योग		हैक्टर	214081.00	15031.70	6376.40	21408.10	

तृतीय वर्ष—अनुरक्षण प्रथम वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
35	वृक्षारोपण क्षेत्र की दख-रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 है0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.3.3.1
36	20 प्रतिशत पौधे की क्षतिपूर्ति पौध की कीमत व ढुलान का कार्य (रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा (220 Plants) प्राक्कलन व नीति को दृष्टिगत रखा जाय।	0.10		4664.00	466.40	2.3.3.2
37	निराई एवं गुड़ाई	0.10	हैक्टर	3365.00	336.50	2.3.3.3
38	घास दबाने हेतु झाड़ी कटान / क्षेत्र की सफाई (वर्ष में 2 बार)	0.10	हैक्टर	5964.00	596.40	2.3.3.4
39	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.3.3.5
40	तारबाड़ / सोलर फेन्सिंग मरम्मत	0.10	हैक्टर	428.00	42.80	2.3.3.6
41	सिंचाई व्यवस्था (डीजल इत्यादि)	0.10	हैक्टर	2300.00	230.00	2.3.3.7
	उप-योग	0.10	हैक्टर	**34266.00**	3426.60	
42	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	343.00	34.30	2.3.3.8
43	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	171.00	17.10	2.3.3.9
44	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	343.00	34.30	2.3.3.10
45	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर -1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	343.00	34.30	2.3.3.11
46	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	685.00	68.50	2.3.3.12
	तृतीय वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	**36151.00**	3615.10	

चतुर्थ वर्ष—अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
47	वृक्षारोपण क्षेत्र की दख-रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 है0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.4.4.1
48	निराई एवं गुड़ाई	0.10	हैक्टर	3365.00	336.50	2.4.4.2
49	घास दबाने हेतु झाड़ी कटान / क्षेत्र की सफाई (वर्ष में 1 बार)	0.10	हैक्टर	2982.00	298.20	2.4.4.3
50	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.4.4.4
51	तारबाड़ / सोलर फेन्सिंग मरम्मत	0.10	हैक्टर	428.00	42.80	2.4.4.5

52	सिंचाई व्यवस्था (डीजल इत्यादि)	0.10	हैक्टर	2300.00	230.00	2.4.4.6
	उप–योग	0.10	हैक्टर	26620.00	2662.00	
53	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	266.00	26.60	2.4.4.7
54	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	133.00	13.30	2.4.4.8
55	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	266.00	26.60	2.4.4.9
56	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	266.00	26.60	2.4.4.10
57	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	533.00	53.30	2.4.4.11
	चतुर्थ वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	28084.00	2808.40	

पंचम वर्ष–अनुरक्षण तृतीय वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
58	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख–रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 है0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.5.5.1
59	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.5.5.2
	उप–योग	0.10	हैक्टर	17545.00	1754.50	
60	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.5.5.3
61	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	89.00	8.90	2.5.5.4
62	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.5.5.5
63	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.5.5.6
64	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	351.00	35.10	2.5.5.7
	पंचम वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	18510.00	1851.00	

षष्टम वर्ष–अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
65	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख–रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 है0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.6.6.1
66	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.6.6.2
67	कल्चरल आपरेशन, सिंगलिंग, प्रूनिंग	0.10	हैक्टर	160.00	16.00	2.6.6.3
	योग–	0.10	हैक्टर	17705.00	1770.50	
68	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	177.00	17.70	2.6.6.4
69	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	89.00	8.90	2.6.6.5
70	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	177.00	17.70	2.6.6.6
71	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	177.00	17.70	2.6.6.7
72	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	354.00	35.40	2.6.6.8
	षष्टम वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	18679.00	1867.90	

सप्तम वर्ष–अनुरक्षण पंचम वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
73	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख–रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 है0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.7.7.1
74	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.7.7.2
75	कल्चरल आपरेशन, सिंगलिंग, प्रूनिंग	0.10	हैक्टर	160.00	16.00	2.7.7.3
	उप–योग	0.10	हैक्टर	17705.00	1770.50	
76	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	177.00	17.70	2.7.7.4
77	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	89.00	8.90	2.7.7.5
78	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	177.00	17.70	2.7.7.6
79	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	177.00	17.70	2.7.7.7
80	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	354.00	35.40	2.7.7.8

	सप्तम वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	18679.00	1867.90	

अष्टम वर्ष अनुरक्षण षष्ठम वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
81	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 हे0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.8.8.1
82	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.8.8.2
	उप योग	0.10	हैक्टर	17545.00	1754.50	
83	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.8.8.3
84	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	89.00	8.90	2.8.8.4
85	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.8.8.5
86	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.8.8.6
87	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	351.00	35.10	2.8.8.7
	अष्टम वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	18510.00	1851.00	

नवम वर्ष अनुरक्षण सप्तम वर्ष

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
88	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख–रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 हे0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.9.9.1
89	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.9.9.2
	उप–योग	0.10	हैक्टर	17545.00	1754.50	
90	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.9.9.3
91	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	89.00	8.90	2.9.9.4
92	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.9.9.5
93	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.9.9.6
94	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	351.00	35.10	2.9.9.7
	नवम वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	18510.00	1851.00	

दशम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)

क0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि (रू0)	SOR NO.
95	वृक्षारोपण क्षेत्र की देख रेख का पारिश्रमिक 12 माह (10.00 हे0 तक एक श्रमिक)	0.10	हैक्टर	17208.00	1720.80	2.10.10.1
96	तारबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हैक्टर	337.00	33.70	2.10.10.2
	उप–योग	0.10	हैक्टर	17545.00	1754.50	
97	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण– 1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.10.10.3
98	श्रम कल्याण कार्य–0.50 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	89.00	8.90	2.10.10.4
99	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.10.10.5
100	कार्यालय व्यय – स्टेशनरी, हार्डवेयर / साफ्टवेयर –1 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	175.00	17.50	2.10.10.6
101	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	0.10	हैक्टर	351.00	35.10	2.10.10.7
	दशम वर्ष का योग	0.10	हैक्टर	18510.00	1851.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
सवाई केन्द्रीय वन प्रभाग
जयपुर

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– २९८५ / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः २१ मई, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर।

विषय :– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 व रेली पट्टी के मध्य एक बीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

ऑनलाईन प्रस्ताव सं0:– FP/UK/OTHERS/155386/2022

संदर्भ :– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 1616/12–1 दिनांक 27.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि इस कार्यालय के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 17.8.2024 के द्वारा 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र के द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या–01 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में नवीन प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी की SIR उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जो सन्दर्भित पत्र के साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से भरे जाने वाली SIR नवीन प्रारूप में तैयार कर उपलब्ध कराते हुये प्रस्ताव में संलग्न 100 पौधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों से आंकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– २९८५ / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

R-PD